नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 87

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		9172.85	1926.50	11099.35	9167.85	2399.30	11567.15	10614.62	2441.54	13056.16
पूंजी		*5948.79*	*201.50*	*6150.29*	*6453.79*	*195.70*	*6649.49*	*6385.38*	*322.46*	*6707.84*
जोड़		**15121.64**	**2128.00**	**17249.64**	**15621.64**	**2595.00**	**18216.64**	**17000.00**	**2764.00**	**19764.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	30.28	30.28	...	41.34	41.34	...	52.21	52.21
2. बी आर डी बी सचिवालय	3451	...	26.70	26.70	...	34.58	34.58	...	38.80	38.80
सड़क परिवहन										
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3055	180.00	...	180.00	180.00	...	180.00	252.00	...	252.00
जोड़ -सड़क परिवहन		**180.00**	**...**	**180.00**	**180.00**	**...**	**180.00**	**252.00**	**...**	**252.00**
4. *सड़कें और पुल*										
4.1 राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव	3054	...	820.43	820.43	...	976.52	976.52	...	1062.50	1062.50
4.2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	5054	3719.79	...	3719.79	4218.79	...	4218.79	4256.38	...	4256.38
4.3 राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरण एवं राजमार्ग प्रशासन	3054	...	4.90	4.90	...	4.75	4.75	...	4.90	4.90
	जोड़	*3719.79*	*825.33*	*4545.12*	*4218.79*	*981.27*	*5200.06*	*4256.38*	*1067.40*	*5323.78*
5. *बी.आर.डी.बी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य*										
5.1 बी.आर.डी.बी के तहत सड़क निर्माण कार्य	3601	...	858.50	858.50	...	1099.95	1099.95	...	1067.40	1067.40
5.2 बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य	5054	650.00	201.50	851.50	650.00	195.70	845.70	600.00	322.46	922.46
5.3 अन्य निर्माण कार्य	3054	...	113.30	113.30	...	169.77	169.77	...	140.34	140.34
	जोड़	*650.00*	*1173.30*	*1823.30*	*650.00*	*1465.42*	*2115.42*	*600.00*	*1530.20*	*2130.20*
6. महत्वपूर्ण सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	3601	78.00	...	78.00	78.00	...	78.00	60.00	...	60.00
7. *केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनाएं*										
7.01 राज्यों को अनुदान	3601	1605.82	...	1605.82	2105.82	...	2105.82	1856.19	...	1856.19
7.02 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3601	175.74	...	175.74	175.74	...	175.74	200.21	...	200.21
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	*3601*	*-1781.56*	...	*-1781.56*	*-2281.56*	...	*-2281.56*	*-2056.40*	...	*-2056.40*
7.03 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान										
7.03.1 राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	3602	48.45	...	48.45	48.45	...	48.45	59.42	...	59.42
7.03.2 पडुचेरी	3602	7.59	...	7.59	7.59	...	7.59	9.31	...	9.31
7.04 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3602	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा	3602	-66.04	...	-66.04	-66.04	...	-66.04	-83.73	...	-83.73
7.05 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान										
7.05.1 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3054	3.27	...	3.27	3.27	...	3.27	4.01	...	4.01
7.05.2 चण्डीगढ़	3054	3.51	...	3.51	3.51	...	3.51	4.30	...	4.30
7.05.3 दादरा और नागर हवेली	3054	1.64	...	1.64	1.64	...	1.64	2.01	...	2.01
7.05.4 लक्षदीप	3054	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.15	...	0.15
7.05.5 दमन और दीव	3054	1.24	...	1.24	1.24	...	1.24	1.52	...	1.52
	जोड़	*9.78*	...	*9.78*	*9.78*	...	*9.78*	*11.99*	...	*11.99*
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया	3054	-9.78	...	-9.78	-9.78	...	-9.78	-11.99	...	-11.99
जोड़-केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित स्कीमें		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
8. राज्य सड़कों का विकास	3601	...	...	...	...	...	...	113.09	...	113.09
अन्य परिवहन सेवाएं										
9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5054	6972.47	...	6972.47	6972.47	...	6972.47	7977.41	...	7977.41
जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया	5054	-6972.47	...	-6972.47	-6972.47	...	-6972.47	-7977.41	...	-7977.41
	7075	379.00	...	379.00	379.00	...	379.00	68.00	...	68.00
	जोड़	*379.00*	...	*379.00*	*379.00*	...	*379.00*	*68.00*	...	*68.00*
10. *अन्य व्यय*										
10.01 विकास और योजना	3054	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00
जोड़ - अन्य परिवहन सेवाएं		**389.00**	**...**	**389.00**	**384.00**	**...**	**384.00**	**75.00**	**...**	**75.00**
11. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण	3054	8829.85	...	8829.85	8829.85	...	8829.85	10129.53	...	10129.53
12. पुल शुल्क के संग्रहण की लागत राज्यों को देय निधियां	3054	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
घटाइए-वसूलियां	3054	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50	...	-0.50	-0.50
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्त पोषित योजनाएं	5054	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00
घटाइए-वसूलियां	5054	-90.00	...	-90.00	-90.00	...	-90.00	-90.00	...	-90.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि -अन्तरण	3054	...	72.39	72.39	...	72.39	72.39	...	75.39	75.39
15. आर्थिक महत्व की सड़कों का विकास, चौड़ा करना एवं अंतर्राज्यीय कनेक्टविटी	3601	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	53.00	...	53.00
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओ/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4552	1200.00	...	1200.00	1206.00	...	1206.00	1461.00	...	1461.00
	जोड़	*1200.00*	*...*	*1200.00*	*1206.00*	*...*	*1206.00*	*1461.00*	*...*	*1461.00*
कुल जोड़		***15121.64***	***2128.00***	***17249.64***	***15621.64***	***2595.00***	***18216.64***	***17000.00***	***2764.00***	***19764.00***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	13054	7351.47	4100.00	11451.47	7351.47	3700.00	11051.47	8045.41	5000.00	13045.41
ग. आयोजना परिव्यय										
1. सड़कें और पुल	13054	12250.00	4100.00	16350.00	12244.00	3700.00	15944.00	13489.00	5000.00	18489.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	1200.00	...	1200.00	1206.00	...	1206.00	1461.00	...	1461.00
राज्य आयोजना										
1. सड़कें और पुल	43601	1605.82	...	1605.82	2105.82	...	2105.82	1969.28	...	1969.28
संघ राज्य क्षेत्र आयोजना										
विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र										
1. राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	43602	48.45	...	48.45	48.45	...	48.45	59.42	...	59.42
2. पुड्डुचेरी	43602	7.59	...	7.59	7.59	...	7.59	9.31	...	9.31
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	43602	9.78	...	9.78	9.78	...	9.78	11.99	...	11.99
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र आयोजना		*65.82*	*...*	*65.82*	*65.82*	*...*	*65.82*	*80.72*	*...*	*80.72*
जोड़		**15121.64**	**4100.00**	**19221.64**	**15621.64**	**3700.00**	**19321.64**	**17000.00**	**5000.00**	**22000.00**

1. यह व्यवस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. यह व्यवस्था सीमा विकास सड़क बोर्ड के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए है जिसमें दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। इसमें पीड़ितों के लिए प्राथमिक उपचार तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना, राष्ट्रीय आंकड़ा आधार का विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन,सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना आदि भी शामिल है।

4.1 यह व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर व्यय हेतु की गई है। ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड के सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल द्वारा भी पूरे किए जाते हैं।

4.2 इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर व्यय के लिए व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत एक्सप्रेस मार्ग और स्वर्ण चतुर्भज के भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर 6 वाहन मार्ग (लेनिंग) राजमार्गों पर 2 वाहन मार्ग बनाने, मुंगेर में रेल-सह-सड़क पुल, गुजरात में डांडी परियोजना और नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास के विशेष कार्यक्रम से संबंधित परियोजनायें शामिल हैं। निर्माण कार्यों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां भी शामिल हैं।

4.3 यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरणों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय, उनके कार्यालयों के प्रबंध पर व्यय के लिए एवं राज्य सरकारों को जनशक्ति की लागत तथा राजमार्ग प्रशासन के स्टाफ स्वरूप के संबंध में अन्य अनुषंगी लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

5 और 6. इन प्रावधानों में सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी.आर.डी.बी.) द्वारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब,जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता शामिल है। साथ ही बी.आर.डी.बी. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए भी व्यवस्था है।

7, 9 और 11. केंद्रीय सड़क निधि को दिसम्बर, 2000 में अधिनियमित केंद्रीय सड़क अधिनियम, 2000 के अधीन पुनर्गठित किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान का उपयोग विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की अनुमोदित योजनाओं तथा साथ ही बेहतर संचार सुविधाओं के संवर्धन के लिए अंतर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए वित्तपोषण

हेतु किया जाएगा। ये अनुमान भारत के लोक खाते में केंद्रीय सड़क निधि के अधीन लेन-देनों से संबंधित है। यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को दिए गए निवेश के लिए भी है। इसके लिए व्यय की पूर्ति केंद्रीय सड़क निधि से आहरण द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौपे गए विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण की 20 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में संगठन को मुहैया करायी जाएगी।

8. यह प्रावधान राज्य राजमार्ग इत्यादि पर विकास कार्य करने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराने के लिए है।

10. इसमें अनुसंधान एवं विकास तथा सड़क विकास पर आयोजना अध्ययन, भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, सेमिनारों पर होने वाला व्यय शामिल है।

12, 13 और 14. यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि, जो भारत के लोक खाते में है, के अधीन किए गए लेन-देनों से संबंधित है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। इस प्रावधान में यंत्रचालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए लगाये गये शुल्क की संग्रहण लागत के प्रति राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले भुगतान भी शामिल है।

15. इसमें उड़ीसा में डुबरी-भ्रमनिपाल-हरिचंदनपुर-नरानपुर-क्योंझर सड़क को चार लेनों वाला बनाने के लिए और जम्मू और कश्मीर राज्य में मुगल सड़क तथा हिमाचल प्रदेश में संसारी नाला किलार,थिरोट रोड़ के लिए प्रावधान शामिल है।

16. यह प्रावधान ट्रांस-अरूणाचल राजमार्ग और कलादान मल्टी मोडल परिवहन परियोजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है।